न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 65 / 2018 अपील (RCMS/2018/00072)
पंजीयन दिनांक — 22.05.2018
निर्णय दिनांक — 28.05.2019

1. श्री यमुनाशंकर पिता स्व. श्री नन्दकिशोर पालीवाल, निवासी लखावली, तहसील बड़गांव जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती प्रेमलता पुत्री स्व. श्री नन्दकिशोर पालीवाल पत्नि श्री शांतिलाल, निवासी सियालपुरा, लखावली, तहसील बड़गांव जिला उदयपुर।
2. श्रीमती निर्मला पुत्री स्व. श्री नन्दकिशोर पालीवाल पत्नि श्री ओमप्रकाश पालीवाल, निवासी सियालपुरा, लखावली, तहसील बड़गांव जिला उदयपुर।
3. श्रीमती भुवनेश्वरी पुत्री स्व. श्री नन्दकिशोर पालीवाल पत्नि श्री अम्बालाल पालीवाल, निवासी रामा, तहसील बड़गांव जिला उदयपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री हुक्मीचंद सांगावत — वकील अपीलान्ट
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1 से 3

प्रकरण संख्या—65 / 2017, श्री यमुनाशंकर पालीवाल बनाम श्रीमती प्रेमलता व अन्य में न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2018 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—76 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 28.05.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या—65 / 2017, श्री यमुनाशंकर पालीवाल बनाम श्रीमती प्रेमलता व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- मौजा राजस्व ग्राम लखावली तहसील बडगांव जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 3595 कुल किता 1 रकबा 0.09 हेक्टर भूमि श्री नन्दकिशोर पिता पृथ्वीराज के खातेदारी आधिपत्य में थी तथा नन्दकिशोर द्वारा अपने

Web Copy - Not Official

जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 29.12.2009 को रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 3 के पक्ष में कर दी गई थी। श्री नन्दकिशोर की मृत्यु दिनांक 12–03–2011 में होने पर उनके पश्चात रेस्पोडेन्ट्स ने वसीयत के आधार पर उक्त आराजीयात अपने नाम पर नामान्तरकरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन बाबत नामान्तरकरण को तहसीलदार, बड़गावं द्वारा आदेश दिनांक 29.07.2013 को निरस्त कर दिया गया।

- तहसीलदार, बड़गावं के आदेश दिनांक 29.07.2013 के विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसके प्रकरण संख्या–18/2014 है। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 28.10.14 से प्रकरण पुनः तहसीलदार, बड़गावं को प्रतिप्रेषित किया। जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 28.10.2014 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा एक अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके प्रकरण संख्या–60/2015 हुए। उक्त प्रकरण में न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 10.10.2016 पारित कर जिला कलक्टर, उदयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 28.10.2014 को यथावत रखा गया।

- उक्त निर्णयों की अनुपालना में तहसीलदार, बड़गावं द्वारा प्रकरण संख्या–07/2012 में निर्णय दिनांक 15.12.2017 पारित किया और निर्णय किया कि–

  ''पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजों का गहनता से अवलोकन/मनन करने पर पाया कि वसीयत में अंकित गवाहान ने वसीयत सही होने की पुष्टि की है तथा वारिसाने में तीनों पुत्रियों के शपथ पत्र एवं वसीयसतकर्ता की पत्नी के शपथ पत्र में भी वसीयत सही होने की पुष्टि की है, व वसीयतकर्ता स्व. नन्दकिशोर जी का देहान्त 29.12.2009 को लिखा जाना सही बताया है। उभय पक्ष को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया। वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत की गई सम्पत्ति स्वअर्जित है एवं वसीयत की पुष्टि होती है, ऐसी स्थिति में मैं वसीयतग्रहिता के पक्ष में राजस्व अभिलेख में वसीयत से प्राप्त सम्पत्ति को दर्ज किया जाना उचित लगता है।

  अतः प्रार्थीया श्रीमती प्रेमलता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम लखावली के आराजी नम्बर 3595 रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि वसीयतकर्ता स्व. नन्दकिशोर जी पिता पृथ्वीराज जी ब्राहम्ण के बजाय वसीयत ग्रहिता श्रीमती प्रेमलता पत्नि श्री शांतिलाल व श्रीमती निर्मला पत्नि श्री ओमप्रकाश निवासी (सियालपुरा) लखावली एवं श्रीमती भुवनेश्वरी पत्नि श्री अम्बालाल पालीवाल निवासी रामा हिस्सा बराबर के राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। राजस्व अभिलेख में तीनों पुत्रियों के नाम अमलदरामद करने हेतु निर्णय की प्रति पटवारी हल्का लखावली को प्रेषित की जावें।''

- तहसीलदार, बड़गावं के उक्त निर्णय दिनांक 15.12.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.04.2018 से अपीलार्थी की अपील को खारिज कर निर्णय किया कि–

''अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। उसके उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसे कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिसमें प्रथम दृष्ट्या यह साबित होता हो कि वादग्रस्त वसीयत स्वर्गीय नन्दकिशोर जी द्वारा सम्पादित नहीं की गई हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत पर अंकित दोनों गवाहों के भी बयान लिये गये है। जिसमें दोनों गवाहानों द्वारा अपने बयान में वसीयत का सम्पादन करना स्वर्गीय नन्दकिशोर जी द्वारा ही बताया गया है। जहॉ तक कानूनी प्रावधानों का प्रश्न है। वसीयत का रजिस्टर्ड होना कोई आवश्यक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख की नकलों के आधार पर यह स्पष्ट जाहिर होता हो कि आराजी नम्बर 3595 रकबा 0.0900 हैक्टर के साबिक नम्बर 979मी रकबा 22 बिस्वा में से 0.19 बिस्वा भूमि को रेग्यूलाईजेशन नन्दकिशोर जी के नाम पर हुआ था। जिससे यह भी स्पष्ट जाहिर है कि यह भूमि उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति थी। जिनका दान बैह बक्षीस वसीयत करने का उनको पूर्ण अधिकार था। अपीलार्थी का यह कथन कि वसीयत अनरजिस्टर्ड होकर कूटरचित दस्तावेज है। कूटरचित दस्तावेज के संबंध में जांच करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं होकर मात्र सिविल न्यायालय को ही है। इस सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गांव द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 15.12.17 विधिक प्रावधानों के तहत होकर पारित आदेश विधि सम्मत होने से हम उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है, अतः अपील अपीलान्ट को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।''

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय 12.04.2018 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 उपस्थित। वकील अपीलान्ट की बहस दिनांक 14.05.2019 को सुनी गई। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 द्वारा निर्णय से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का कथन किया गया, लिखित बहस दिनांक 22.05.2019 को प्राप्त।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं लिखित व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि कथित वसीयत दस्तावेज देखने से ही स्पष्ट रूप से फर्जी लग रही है क्योंकि स्टाम्प दिनांक 14.12.2009 को खरीदा हुआ है, जिसकी लिखापढ़ी दिनांक 29.12.2009 को कराई गई तथा उस पर दिनांक 29.12.2009 हो हस्ताक्षर होना बताया जा रहे है तथा गवाहों के भी हस्ताक्षर दिनांक 29.12.2009 को दस्तावेज पर होना बताया जा रहा है, नोटेरी द्वारा प्रमाणीकरण दिनांक 27.01.2010 का बताया है जो हस्ताक्षर अपने सामने कराना बता रहे है, जो अपने आप में विरोधाभासी है। वसीयत पर सभी हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न है एवं गवाह भी संदिग्ध है। वसीयत जैनुअल नहीं होकर फर्जी बनाई गई है। इस वसीयत के आधार पर कोई नामान्तरकरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि वसीयत साबित नहीं है तथा ऐसी वसीयत के आधार पर केवल दिवानी न्यायालय में दावा पेश कर अपने हक अधिकार तय कराये जा सकते है, परन्तु इस

मामलें में ऐसा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वसीयत के आधार पर जो म्यूटेशन करने का जो आदेश दिया वह एबनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के है। म्यूटेशन का बिन्दू उत्तराधिकारी से सम्बन्धित जटिल प्रश्न है तथा ऐसे बिन्दुओ को सक्षम न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। नैचुरल वारिसान के नाम पर नामान्तकरण किया जाना चाहिए, वसीयत के आधार पर म्यूटेशन नहीं किया जा सकता है। उक्त जमीन पर कई वर्षों से अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट ने उक्त जमीन पर 10–11 आम के पेड़ भी लगा रखे है। रेस्पोडेंट का इस जमीन पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। रेस्पोडेंट ने कथित वसीयत को अपीलान्ट के मुकाबले साबित नहीं करवाया है, न ही अपीलान्ट को गवाहों से क्रोस का कोई अवसर ही दिया गया है। सारी कार्यवाही नल एवं वोईड है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें। अपने कथन के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी ने न्यायिक दृष्टांत–1998 आरआरडी 553, 2004(2) आरआरटी 1140, 2008(1) आरबीजे 67, 2015 आरबीजे(22) 412, 2006–07 आरआरटी(Supp) 277, 2014(1) आरआरटी 196, 2005(2) आरआरटी 1330 पेश किए।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 ने लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि स्वर्गीय नन्दकिशोर जी की उपरोक्त कृषि भूमि स्वअर्जित है। उनके पुत्र यमुनाशंकर द्वारा उनके पिता श्री नंदकिशोर व माता की उनके जीवनपर्यन्त कोई सेवा नहीं की गई जबकि वो अन्धे होकर दैनिक दिनचर्या के कार्य नहीं कर सकते थे। ऐसे में उनकी तीनों पुत्रियों द्वारा उनकी जिन्दगी भर सेवा की गई जिससे वशीभूत होकर उक्त वसीयत तीनों पुत्रियों के नाम लिखी गई और नामान्तरकरण तीनों पुत्रियों के नाम स्वीकृत हुआ। अपीलार्थी द्वारा विभिन्न राजस्व न्यायालयों में नामान्तरकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र एवं अपील प्रस्तुत की गई परन्तु अन्ततः नामान्तरकरण तीनों पुत्रियों के नाम स्वीकृत रहा। सभी राजस्व न्यायालयों द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 के कथनों का समर्थन करते हुए निर्णय पारित किए गए। तहसीलदार, बडगांव के समक्ष वसीयत के आवश्यक गवाह प्रस्तुत हुए और रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3 ने साबित करवाया और अपीलार्थी श्री यमुना शंकर स्वयं बडगांव उपस्थित हुआ और उस वसीयत की जांच की प्रमाणिकता के बाबत तहसीलदार, बड़गावं ने अपीलान्ट की मौजूदगी में वसीयत की जांच की और जांच के उपरान्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया। जिसके क्रम में जिला कलक्टर, उदयपुर ने भी अपने निर्णय में विधिक विवेचन करते हुए तहसीलदार के नामान्तकरण को सही मानते हुए अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की लिखित, मौखिक बहस एवं न्यायिक दृष्टांतों पर मनन किया तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि मौजा राजस्व ग्राम लखावली तहसील बडगांव जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 3595 कुल किता 1 रकबा 0.09 हेक्टर भूमि श्री नन्दकिशोर पिता पृथ्वीराज के खातेदारी आधिपत्य में थी तथा नन्दकिशोर द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 29.12.2009 को रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से 3 के पक्ष में कर दी गई थी। जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दिनांक 28.10.2014 से की अनुपालना में तहसीलदार,

बड़गावं द्वारा प्रकरण संख्या–07/2012 में निर्णय दिनांक 15.12.2017 पारित किया। तहसीलदार, बड़गांव के प्रकरण में कार्यवाही के दौरान वसीयत में अंकित गवाहान ने वसीयत सही होने की पुष्टि की है तथा वारिसाने में तीनों पुत्रियों के शपथ पत्र एवं वसीयसतकर्ता की पत्नी के शपथ पत्र में भी वसीयत सही होने की पुष्टि की है, व वसीयतकर्ता स्व. नन्दकिशोर जी का देहान्त 29.12.2009 को लिखा जाना सही बताया है। उक्त निर्णय दिनांक 15.12.2017 को जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 12.04.2018 से विधि सम्मत मानते हुए यथावत रखा गया। उक्त वसीयत को अधीनस्थ न्यायालय समक्ष द्वारा गवाहान द्वारा प्रमाणित किया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में सरसरी जांच नामान्तरकरण तस्दीक करने वाली आथोरिटी के स्तर पर की जानी वांछित है, जिसके क्रम में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बड़गावं द्वारा जांच कार्यवाही सम्पादित की गई। तहसीलदार को वसीयत के आधार पर नामान्तकरण के मामलें में वसीयत में जांच करने का अधिकार है यद्यपि विवादग्रस्त वसीयत के सम्बन्ध में में अंतिम निर्णय सिविल न्यायालय का ही बाध्यकारी होग किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि जिस आधार पर नामान्तरकरण चाहा गया है उस आधार की तहसीलदार जांच न करें। प्रश्नगत प्रकरण में उक्त वसीयत को अपीलान्ट द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। न ही किसी सक्षम न्यायालय में वसीयत को निरस्त कराने या फर्जी घोषित कराने का दावा प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। जब तक उक्त वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं कराया जाता है, तब कर उसकी वैधता/सत्यता पर प्रश्न किया जाना उचित नहीं है, आलौच्य आदेश पारित किये जाने पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बड़गांव द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों के साक्ष्य लिए गए जिन्होनें वसीयत की सत्यता/वैधता को साबित किया है। विधि के प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार वसीयत का रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं न ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर इस प्रकरण में सुंसगत है, न ही चस्पा होते है।

इन्ही तथ्यों एवं उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण जांच व विवेचना कर, विधिक प्रावधानों पर विचार कर, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय दिनांक 12.04.2018 पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 12.04.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर